न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 3743–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2014 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी – प्रकरण कमांक 121/2013–14 स्वमेव निगरानी

भूपेन्द्र सिंह पुत्र लाल साहव नदवंशी
निवासी ग्राम एजवारा कृषक ग्राम
मझारी तहसील बदरवास जिला शिवपुरी ---आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन --अनावेदक

(श्री एम0पी0बरूआ अभिभाषक – आवेदक)
(अनावेदक के पैनल अभिभाषक)

आ दे श

(दिनांक 23 दिसम्बर, 2015)

अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 121/2013–14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–5–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी दिनांक 17–11–2015 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि शासकीय पटटेदारों की भूमियां कलेक्टर की बिना अनुमति के विकय वावत् गठित जांच समिति की

रिपोर्ट पर ग्राम मझारी स्थित भूदान बोर्ड के पटटे की भूमि सर्वे कमांक 610 रकबा 0.91 हैक्टर हीरा पुत्र मुतिया जाटव के नाम थी, जिसका विकय कलेक्टर शिवपुरी की अनुमति के बिना आवेदक के हित में पाये जाने से अपर कलेक्टर शिवपुरी ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 121/2013-14 दर्ज कर हीरा पुत्र मुतिया जाटव पटटाग्रहीता को एंव आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाबजूद सूचना पटटेदार तथा केता आवेदक नियत पेशी 14-5-13 एंव 10-10-13 को अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। अपर कलेक्टर शिवपुरी ने अनुविभागीय अधिकारी कोलारस से प्रतिवेदन दिनांक 12-2-13 प्राप्त कर आदेश दिनांक 28-5-2014 पारित किया एंव पटटेदार की भूमि कलेक्टर की अनुमति के बिना विकय होना पाकर पटटेदार ब्दारा पटटे की शर्तो का पालन न करने के कारण संहिता की धारा 165 के अंतर्गत विकय पत्र शून्य घोषित करते हुये भूमि शासकीय मद में दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 17-11-2015 को प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के निगरानी की ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में तथा अवधि विधान की धारा-5 में अंकित किये हैं। अनावेदक शासन के अभिभाषक ने निगरानी आदेश दिनांक 28-5-14 के विरूद्ध दिनांक 17-11-15 को प्रस्तुत करने, आदेश की जानकारी के दिनांक वावत् साक्ष्य सहित प्रस्तुत नहीं करने तथा आदेश की नकल प्राप्त होने पर भी निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने का तर्क देते हुये अवधि-वाह्य होना बताते हुये निरस्त करने की मांग रखी।

5/ अवधि विधान की धारा-5 के तथ्यों के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर शिवपुरी का आदेश दिनांक 28-5-14 को पारित हुआ है आदेश की जानकारी 1-8-15 को बताई गई परन्तु उसके समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब इसलिये भी क्षमा योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक को अपर कलेक्टर शिवपुरी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि 7-8-15 को आवेदन देने पर दिनांक 14-8-15 को प्राप्त हुई। दिनांक 14-8-15 से निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 17-11-2015 के बीच की अवधि 3 माह से अधिक समय के दिन-प्रतिदिन का हिसाव आवेदक के अभिभाषक नहीं दे सके एंव अन्य प्रकार से समाधान भी नहीं करा सके। अतएव निगरानी अवधि-वाह्य प्रस्तुत होने के कारण गुणदोष पर विचार किये बिना इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर